महत्वपूर्ण/प्राथमिकता
संख्या-39/2024/774951/60-1099/296/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- **समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,**
उ0प्र0 शासन।
2- **समस्त मण्डलायुक्त,**
उत्तर प्रदेश।
3- **समस्त जिलाधिकारी,**
उत्तर प्रदेश।
4- **समस्त पुलिस आयुक्त/वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,**
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-1 **लखनऊ::दिनांक 21 अक्टूबर, 2024**

विषय:- महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं की देखरेख हेतु संचालित समस्त गृहों को अतिरिक्त समर्थन प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महिला कल्याण विभाग द्वारा प्रदेश में बच्चों एवं महिलाओं की देखरेख हेतु विभिन्न प्रकार के गृहों यथा दत्तक ग्रहण इकाई, शिशु गृह, बाल गृह, संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी, आफ्टरकेयर संस्थायें, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों हेतु बाल गृह, महिला शरणालय, महिला वृद्ध आश्रम, मानसिक मंदित महिलाओं हेतु गृहआदिका संचालन किया जा रहा है। विभाग द्वारा संचालित इन गृहों में विषम परिस्थितियों से ग्रस्त बच्चे तथा महिलायें निवासित कराये जाते हैं। चूँकि ऐसे बच्चे व महिलायें अपने माता-पिता/ परिवारों से दूर राज्य सरकार की देखरेख व संरक्षण में आवास करते हैं तो ऐसे मेंइनके प्रति हम सभी का दायित्व एवं जवाबदेही और बढ़ जाती है।

2- इन बच्चों व महिलाओं हेतु संचालित उक्त गृहों में आवासित बच्चों/महिलाओं के भरण-पोषण, सुरक्षा, संरक्षण और विकास हेतु राज्य सरकार स्वयं या भारत सरकार के सहयोग से व्यवस्थायें सुनिश्चित करती है। गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं के सर्वांगीण विकास तथा समाज की मुख्य धारा में शामिल किये जाने हेतु महिला कल्याण विभाग द्वारा शिक्षा, मनोवैज्ञानिक समर्थन के साथ कौशल विकास के विविध कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं।

उक्त गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं की संख्या आमतौर पर अधिक होने के कारण ऐसे बच्चों/महिलाओं हेतु संचालित गृहों को अतिरिक्त निगरानी एवं सहयोग की आवश्यकता होती है। अत: उक्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित बिन्दुओं पर यथावश्यक कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है:-

(क)-<u>भावनात्मक सहयोग:</u> उपरोक्त गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं को उनकी विषम परिस्थितियों के कारण भावनात्मक जुड़ाव और उन्हें सुनने वाले किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता होती है। यद्यपि गृहों में कार्यरत कार्मिक अपने दैनिक कार्यविधियों में बच्चों व महिलाओं की भावनात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करने हेतु सम्पूर्ण प्रयास करते हैं तथापि उक्त गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं को समाज की मुख्य धारा में समेकित होने हेतु अतिरिक्त समर्थन की आवश्कता होती है। उक्त के दृष्टिगत मण्डल/जनपदीय प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नियमित पर्यवेक्षण किया जाय तथा इन गृहों में अपने परिवार के सदस्यों को

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

भी सहयोग/समर्थन प्रदान किये जाने हेतु प्रेरित किया जाय। जनपद में कार्यरत समस्त अधिकारी अपने जनपद के कम से कम एक गृह को गोद लें सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी स्वयं अथवा अपने परिवार के साथ विभिन्न त्योहारों यथा होली, दिवाली, ईद, लोहड़ी, क्रिसमसतथा अपने जीवन के महत्वपूर्ण दिवसों जैसे-जन्मदिवस, विवाह समारोह, सालगिरह आदि कोबाल गृहों में आवासित बच्चों के साथ मनायें, जिससे बच्चों को अपनेपन का एहसास होगा।

(ख)-<u>शैक्षिक एवं कौशल विकास गतिविधियों में सहयोगः</u> उपरोक्त गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं के विकास हेतु आवश्यक है कि उनकी शिक्षा और कौशल विकास की गतिविधियां निरंतर जारी रहें। गृहों में आवासित बच्चे वर्तमान में औपचारिक शिक्षा हेतु विभिन्न विद्यालयों में अध्ययनरत हैं। प्रशासनिक अधिकारी तथा उनके परिवारजन स्वेच्छा से इन गतिविधियों में जुड़ सकते हैं तथा अपने सेवानिवृत साथियों, मित्रों व आस-पड़ोस के लोगों को भी बच्चों को विद्यालय के बाद उनकी पढा़ई में सहयोग/ट्यूशन आदि में समर्थन देने हेतु प्रेरित कर सकते हैं। ट्यूशन के अतिरिक्त उनके साथ विशेष गतिविधियां यथा स्टोरी टेलिंग, आर्ट एण्ड क्राफ्ट, पेंटिग, खेलकूद सहित जीवन कौशल की विभिन्न गतिविधयां की जा सकती है। बच्चों की फीस, स्टेशनरी, बैग, स्कूल वैन/बस तथा टयूशन् आदि हेतु समर्थन/सहयोग किया जा सकता है।

(ग)- <u>भरण-पोषण, चिकित्सीय देखरेख सामग्री सहयोगः</u> उपरोक्त गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं की दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभाग द्वारा समस्त सामग्रियां उपलब्ध करायी जाती हैं । उक्त गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं की संख्या आमतौर पर अधिक होने के कारण आप उपयोग योग्य कपड़े, रजाई, कंबल, टायलेटरीज़, बर्तन, किताबों सहित शिक्षण सामग्री, अलमारियां, कूलर, ए0सी0, पंखें, खान-पान सामग्री, खेल-कूद सामग्री आदि का सहयोग कर सकते हैं। चूँकि सामान्य चिकित्सीय आवश्यकता चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपलब्ध करायी जाती है । अत: उनकी विशिष्ट चिकित्सीय आवश्यकताओं को स्पॉन्सर करने में सहायोग प्रदान कर सकते हैं।

(घ)- <u>मेन्टरशिप सहयोगः</u> उपरोक्त गृहों को सशक्त करने के उद्देश्य से इन गृहों का पर्यवेक्षण करते हुए यथावश्यक सुधार हेतु समग्र योजनायें बनायी जाय। उक्त गृहों में आवासित बच्चों व महिलाओं की विभिन्न आवश्यकताओं यथा शौक्षणिक/ कौशल विकास की पूर्ति हेतु विभिन्न चैरेटिबिल संस्थाओं यथा रोटरीक्लब, लायन्स क्लब, आकांक्षा समिति एवं अन्य प्रतिष्ठित सामाजिक संस्थाओं आदि का सहयोग प्राप्त किया जा सकता है। संस्था में आवासित कुशाग्र बच्चों/महिलाओं के सर्वांगीण विकास व बेहतर आजीविका के साधन उपलब्ध कराये जाने हेतु विश्वविद्यालयों/तकनीकी संस्थाओं/चैरेटिबिल संस्थाओं या स्वयं को मेन्टर के रूप में जोड़ सकते हैं। उक्त मेन्टरों द्वारा उन्हें मनोसामाजिक समर्थन तथा शैक्षणिक/ कौशल विकास सम्बन्धी गतिविधियों में सहयोग प्रदान किया जाये।

3- उक्त के क्रम में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित 62 बाल देखरेख संस्थाओं एवं 09 महिला शरणालयों/संरक्षण गृहों की सूची संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रदेश में संचालित विभिन्न गृहों को सशक्त करने के उद्देश्य से आवश्यक कार्यवाही करने व अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें।

<u>संलग्नक: यथोक्त</u>

भवदीय,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(मनोज कुमार सिंह)
मुख्य सचिव

संख्या-39/2024/774951(1)/60-1099/296/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, महिला कल्याण तथा निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, विभाग, उ0प्र0।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
3. समस्त मंडलीय उप-निदेशक, महिला कल्याण विभाग, उ0प्र0।
4. समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी, उ0प्र0।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लीना जौहरी)
प्रमुख सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।